(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/223

छोटी बाई पत्नि रामनारायण जाति अहीर निवासी रघुनाथपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री प्रेमशंकर गूर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.01.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 159/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया एवं अन्य सहखातेदार के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की भूमि ख.सं. 743/553 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, ख.स. 553/698 रकबा 1.9830 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4282 हैक्टेयर वाके ग्राम मुण्डघसा पटवार मण्डल अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित है। प्रार्थीया की उक्त भूमि में आने जाने का एक रास्ता नहर (माईनर) के किनारे की भूमि खसं 604 जो रास्ते के लिये ही किसानो द्वारा उपयोग की जा रही है, मे से चारागाह भूमि ख.स. 553 रकबा 1.7482 हैक्टेयर मे होकर ग्राम रघुनाथपुरा की सीमा के सारे सहारे विस्थित है, उक्त रास्ते की चोडाई करीब 12 फिट है। उक्त रास्ते का प्रार्थीया अरसा कदीम से उपयोग कर रही है, अपने खेतो मे आती जाती है, फसल उपज लाती है, कृषि उपकरण व पशुओ को ले जाती है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे रास्ता नही होने से भविष्य में अतिक्रमण होने के कारण वर्तमान में मौजूद रास्ते के अवरूद्ध होने की आशंका है। प्रार्थीया वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है जो चाहती है कि भविष्य में उसके उत्तराधिकारीयो का अपने खेतो मे आवागमन को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो इसलिये अपने खाते की भूमि में आने जाने हेतु नहर के किनारे की भूमि ख.सं 604 से चारागाह भूमि खसं. 553 मे ग्राम रघुनाथपुरा की सीमा के सहारे भूमि ख.सं. 743/553 तक

रास्ता घोषित करवाना चाहती है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि अपने खाते की कृषि भूमि खसं 743/553 तक आने जाने हेतु नहर के किनारे के रास्ते ख.स. 604 से चारागह भूमि खसं 553 में होकर ग्राम रघुनाथपुरा की सीमा के सहारे–सहारे 12 फिट चोडा रास्ता घोषित करवाये। प्रार्थीया की भूमि में आने जाने हेतु उक्त रास्ते से अधिक उपयोगी तथा कम दूरी मे अन्यत्र रास्ता दिया जाना भी सम्भव नही है अर्थात रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली उक्त रास्ते की दूरी सबसे कम है जो धारा 251–क राज काश्त अधि के तहत उपयुक्त है, प्रार्थीया नियमानुसार कीमत भूमि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया के खाते की भूमि खस 743/553 मे आने–जाने हेतु नहर के किनारे के रास्ते की भूमि खसं 604 से चारागाह भूमि ख.सं. 553 में होकर ग्राम रघुनाथपुरा की सीमा के सहारे–सहारे 12 फिट चोडा रास्ता घोषित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2024 के द्वारा प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालंय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि उसकी भूमियां ग्राम मूण्डघसा में स्थित है जिन पर आने जाने का एक रास्ता नहर (माईनर) के किनारे की भूमि खसरा संख्या 604 जो रास्ते के लिए ही किसानो द्वारा उपयोग में ली जा रही है, मे से चरागाह भूमि खसरा संख्या 553 मे होकर ग्राम रघुनाथपुरा सीमा के सहारे सहारे विस्थित है जो उक्त रास्ता करीब 12 फीट चौडा है जिसमे से होकर प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि मे पहुंचती है और आती–जाती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बातो पर गौर ही नही किया और प्रार्थना पत्र खारिज फरगा दिया जो निरस्तनीय है। अपीलांट के पास अपनी उक्त भूमि मे आने जाने हेतु उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता ही मौजूद है और उक्त रास्ता भी ग्राम

रघुनाथपुरा की भूमि की सीमा के सहारे सहारे स्थित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि चारागाह भूमि मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया जो निरस्तनीय है। अपीलांट के पास अपनी भूमि में पहुंचने तथा आने-जाने एवं कृषि यंत्र लाने-ले जाने वास्ते उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है और उक्त रास्ता चारागाह भूमि खसरा संख्या 553 मे से होकर आता है और उसके अलावा कोई रास्ता नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिस पर चाहा गया अनुतोष दिया जाना सभव नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत धारणा कायम की है और अपीलाण्ट के पास उक्त भूमि के अलावा कोई रास्ता ही नही है तो अपीलांट किस भूमि पर से होकर आ-जा सकेगी और कानूनन उक्त रास्ते की भूमि पर जो चारागाह की है, पर रास्ता कायम करने मे कोई कानूनी अटकल नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन पर गौर ही नही किया गया और प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की गई है। अपीलांट उक्त भूमि खसरा संख्या 553 पर रास्ता घोषित करने में आने वाली भूमि का कीमतन मूल्य जमा कराने हेतु तैयार है और रास्ता घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-7-2024 को निरस्त फरमाया जाने तथा और अपीलांट प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे चाहा गया अनुतोष दिया जाकर रास्ता घोषित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा स्वयं के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहर के किनारे की भूमि खसरा नम्बर 604 एवं चारागाह भूमि खसरा नम्बर 553 में होकर कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट द्वारा सरकारी एवं प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में होकर रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीया अपीलांट द्वारा स्वयं के खाते की भूमि खसरा नम्बर 743/553 में आने-जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 604 एवं खसरा नम्बर 553 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 553 की भूमि चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थीया अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि में से रास्ता चाहा गया है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अतः प्रार्थीया अपीलांट को प्रश्नगत खसरा नम्बर 553 किस्म चारागाह भूमि में रास्ता दिया जाना कानूनन संभव नहीं है। अतः प्रार्थीया अपीलांट द्वारा

वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं होने से प्रार्थीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2024 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 553 की भूमि को प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होना मानकर प्रार्थीया अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं होना मानते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है उससे हम सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 159/2021 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा